

**चयन प्रतियोगिता में प्रवेश हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड**

ट्रायल की तिथि व समय	स्पर्धा	स्थान	आयु 13 से 16 वर्ष
18.04.2022 प्रातः 9:00 बजे	1 वॉलीबाल (छात्र वर्ग)	रा0 व0 मा0 पा0 रोहडू ज़िला शिमला ।	01.01.2006 से 31.12.2009 के बीच
	2 हॉकी (छात्र वर्ग)	रा0 व0 मा0 पा0 माजरा ज़िला सिरमौर ।	01.01.2006 से 31.12.2010 के बीच
20.04.2022 प्रातः 9:00 बजे	1 वॉलीबाल (छात्र वर्ग)	रा0 व0 मा0 पा0 जुब्बल ज़िला शिमला।	01.01.2006 से 31.12.2009 के बीच
	2 फुटबाल (छात्र वर्ग)	रा0 व0 मा0 पा0 रोहडू ज़िला शिमला।	
	हॉकी (छात्र वर्ग)	रा0 व0 मा0 पा0 सुंदरनगर ज़िला मंडी।	
22.04.2022 प्रातः 9:00 बजे	वॉलीबाल (छात्र वर्ग)	रा0 व0 मा0 पा0 मतिराना ज़िला शिमला।	01.01.2006 से 31.12.2009 के बीच
	हॉकी (छात्र वर्ग)	रा0 व0 मा0 पा0 नदौन ज़िला हमीरपुर ।	
23.04.2022 प्रातः 9:00 बजे	बास्केटबॉल (छात्र वर्ग)	रा0 व0 मा0 पा0 पपरोला ज़िला कौगड़ा।	01.01.2006 से 31.12.2009 के बीच
25.04.2022 प्रातः 9:00 बजे	बास्केटबॉल (छात्र वर्ग)	रा0 व0 मा0 पा0 सरकाघाट ज़िला मंडी।	01.01.2006 से 31.12.2009 के बीच

**Minimum Height Criteria for Admission in Volleyball and Basketball**

Age/DOB	Category	Height
13Years/01.01.2009	Girls	160 cm
	Boys	167 cm
14 Years/01.01.2008	Girls	162 cm
	Boys	173 cm
15 Years/01.01.2007	Girls	165 cm
	Boys	175 cm
16 Years/2006	Girls	167 cm
	Boys	179 cm

Preference will be given to extra ordinary height

**प्रतिलिपि:**

- 1 तकनीकी अधिकारी, तकनीकी शाखा, उच्च शिक्षा निदेशालय, हि0 प्र0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- 2 रक्षक नस्ति।



डॉ0 अमरजीत कुमार शर्मा  
शिक्षा निदेशक (उच्चतर)  
हिमाचल प्रदेश।

Date: 16-04-22.

Endst No: EDN-U-(Sports)- Even 123  
Office of the Dy. Dir. of Hr. Education Una.  
Forwarded in original to all the Principal/Headmaster of GSSS/GHS in Una Distt for information & compliance.  
Dy. Dir. of Hr. Edu Una Distt Una (Hr)



## प्रेस विज्ञापित

दिनांक 05.04.2022 (मंगलवार) को शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) में हिमाचल प्रदेश के खेल छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया के निर्धारित मापदण्डों में संशोधन से सम्बन्धित एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉ० अमरजीत कुमार शर्मा शिक्षा निदेशक (उच्चतर) ने की। बैठक में डॉ० हरीश कुमार, संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्चतर) उपाध्यक्ष, श्री सतोष चौहान सहायक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), श्री चितरंजन काल्टा, आलेख लेखक, श्री राजेश कंवर (डी०पी०ई०), श्री विनोद शर्मा (अधीक्षक) शारीरिक शिक्षक शाखा एवम् प्रदेश से आये सभी खेल छात्रावासों के प्रशिक्षकों ने भाग लिया। इस बैठक में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गए:

1. खेलवार-वॉलीबाल, बास्केटबॉल, हॉकी एवम् फुटबॉल के प्रवेश प्रक्रिया के पुराने निर्धारित मापदण्ड भारतीय खेल प्राधिकरण के निर्धारित मापदण्डों की तुलनात्मक समीक्षा की गयी।
2. सम्बन्धित खेल के प्रशिक्षकों से इस बारे विचार विमर्श करने के उपरान्त समिति के द्वारा खेलवार निर्धारित मापदण्डों में संशोधन अध्यक्ष डॉ० अमरजीत कुमार शर्मा शिक्षा निदेशक (उच्चतर) की अध्यक्षता में किया गया ताकि प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे एवम् समयानुसार खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवम् अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा सके।
3. बैठक में खेल छात्रावासों में आने वाली प्रशासनिक एवम् खिलाड़ियों को आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की गई। जिसमें डॉ० अमरजीत कुमार शर्मा शिक्षा निदेशक (उच्चतर) द्वारा अनेक समस्याओं का मौके पर निपटान कर दिया गया एवम् विशेष समस्याओं से सम्बन्धित प्रस्ताव सरकार को स्वीकृति के लिए भेजने को कहा गया।
4. खेल छात्रावासों में प्रवेश हेतु वर्ष 2022-23 के लिए शारीरिक मापदण्ड और खिलाड़ियों की आयु सीमा 13-18 वर्ष निर्धारित की लेकिन वरीयता 13-16 वर्ष के आयु के खिलाड़ियों को दी जायेगी। हॉकी छात्रावास के लिए आयु सीमा 12-18 वर्ष निर्धारित की गई। राष्ट्रीय सबजूनियर, जूनियर व स्कूली स्तर के विजेता, उपविजेता व तीसरा स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड पूरा न करने पर भी उनके प्रदर्शन के आधार पर चयन प्रक्रिया में वरीयता प्रदान की जायेगी। चुने हुए खिलाड़ियों को मुफ्त आवास, भोजन, खेल किट, खेल सामान व आधुनिक खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा (छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया के संशोधित मापदण्ड निर्धारित प्रपत्र पर संलग्न है)।